

बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लि०
(बिहार सरकार का उपक्रम)

कार्यालय आदेश

पुलिस निरीक्षक/पुलिस अवर निरीक्षक पद से सेवानिवृत्त कर्मियों को संविदा पर नियोजन के पश्चात श्री शम्भूशरण सिंह, श्री नन्दु शर्मा, श्री अजीत कुमार, श्री जगनारायण तिवारी (सभी अनाराक्षित) श्री अनिल कुमार प्रधान (पिछड़ा वर्ग) एवं श्री मैनेजर राम (अनुसूचित जाति) द्वारा त्याग पत्र एवं योगदान नहीं देने के कारण उनके स्थान पर निम्न सेवानिवृत्त पुलिस निरीक्षक/पुलिस अवर निरीक्षक का नियोजन Enforcement Officer (प्रवर्तन अधिकारी) के पद पर संविदा के आधार पर सशर्त करते हुए निम्न प्रकार पदस्थापित किया जाता है—

क्र०	नाम	कोटि	पदस्थापित कार्यालय का नाम
1.	श्री सुदामा सिंह	अनाराक्षित	जिला खनन कार्यालय, सीवान
2.	मो० सफी उल्लाह	अनाराक्षित	जिला खनन कार्यालय, भोजपुर
3.	श्री योगेन्द्र कुमार सिंह	अनाराक्षित	जिला खनन कार्यालय, कैमूर
4.	श्री प्रमोद शर्मा	अनाराक्षित	जिला खनन कार्यालय, बेतिया
5.	श्री संजीव कुमार सिन्हा	पिछड़ा वर्ग	जिला खनन कार्यालय, नालंदा
6.	श्री सुभाष चन्द्र राँय	अनुसूचित जाति	जिला खनन कार्यालय, लखीसराय

- संविदा के आधार पर नियुक्ति प्रथम चरण में एक वर्ष के लिए होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा तक आवश्यकतानुसार उनके सेवा का विस्तार उनके कार्यों की समीक्षा परांत की जा सकेगी, परन्तु सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से संविदा कभी भी समाप्त की जा सकती है।
- इनके द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा समय-समय पर की जायेगी और यदि कार्य संतोषप्रद नहीं होगा, तो उन्हें कभी भी हटाया जा सकेगा। जिन रिक्तियों के विरुद्ध संविदा पर नियोजन की जा रही है, उनपर नियमित नियुक्ति होने के बाद इनकी सेवा स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- नियोजित कर्मियों का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन में पेंशन की राशि घटाने के बाद जो होगी, वही होगी। मासिक मानदेय की यह राशि सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के संविदा अवधि में कार्यरत रहने की तिथि तक स्थिर रहेगी। सेवानिवृत्ति और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा।
- संविदा कर्मियों को मानदेय का भुगतान उनके पदस्थापित कार्यालय में योगदान की तिथि से देय होगा।
- संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों को छुट्टी की अनुमान्यता नहीं होगी। उन्हें सरकारी सेवकों को अनुमान्य आकस्मिक अवकाश मात्र अनुमान्य होगा।
- चयनित अभ्यर्थी अविलंब योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

8. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(आनंद प्रकाश सिन्हा)

महाप्रबंधक

(मानव संसाधन एवं प्रशासन)

ज्ञापांक-01/स्था0-82/18-.....पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :-सभी संबंधित संविदा कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

महाप्रबंधक

(मानव संसाधन एवं प्रशासन)

ज्ञापांक-01/स्था0-82/18-.....पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :-प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/महाप्रबंधक (वित्त एवं ऑपरेशन) बिहार स्टेट मार्टनिंग कॉरपोरेशन लि0, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

महाप्रबंधक

(मानव संसाधन एवं प्रशासन)

ज्ञापांक-01/स्था0-82/18-.....पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :-सभी जिला पदाधिकारी/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी उप निदेशक/सभी सहायक निदेशक/सभी खनिज विकास पदाधिकारी/सभी खान निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

महाप्रबंधक

(मानव संसाधन एवं प्रशासन)

ज्ञापांक-01/स्था0-82/18-.....पटना, दिनांक BSMC/173/18 15.3.18

प्रतिलिपि :-आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

महाप्रबंधक

(मानव संसाधन एवं प्रशासन)